कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /2735/री.ए.डी.एम./ 2018 इन्दौर, दिनांकः 29/12/2018

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 15420/09/94/स्था. दिनांक 28/12/2018 द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018 के साक्षात्कार दिनांक 31/12/2018 से दिनांक 23/01/2019 के मध्य आयोजित है । इस आयोजित होने वाले साक्षात्कार के दौरान लोक सेवा आयोग कार्यालय के परिसर के बाहर धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने हेतु लेख किया गया है ।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018 के साक्षात्कार कार्य के दौरान आयोग कार्यालय के परिसर के 500 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों के जमावड़े या किसी प्रकार से उम्मीदवारों से सम्पर्क किये जाने को नियंत्रित किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा ताकि साक्षात्कार कार्य की निष्पक्षता भंग होने की आशंका न रहे । अतः अवगत कराये गये अनुसार व विभीन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों से मुझे यह समाधान हो गया है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018 के साक्षात्कार कार्य की निष्पक्षता तथा इस कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो, इसका निवारण अत्यन्त वांछनीय होने से, इसे रोकने हेतु कार्यवाही की जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः मैं **अजय देव शर्मा, अति0 जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144(1)(2) के तहत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018 के साक्षात्कार कार्य की निष्पक्षता तथा इस कार्य में अवरोध को खत्म करने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने से रोकने बाबत् निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

1. यह कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर के बाहरी परिसर की 500 मीटर की परिधि में साक्षात्कार दिवसों में किसी प्रकार के विज्ञापन लगानें, उम्मीदवारों से सम्पर्क किये जाने व अनावश्यक भीड़ एकत्रित किये जाने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है । यह आदेश उम्मीदवार(जिसके साथ 01 परिजन आ सकता है)/आयोग के अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश दिनांक 29/12/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 31/12/2018 से दिनांक 23/01/2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(अजय देव शर्मा)
अति0 जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.

पृ0क्रमांक / 2786 /री.ए.डी.एम./2018 — इन्दौर, दिनांक 29/12/2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 15420/09/94/स्था. दिनांक 28/12/2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
4. पुलिस अधीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, इन्दौर ।
5. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर ।
6. अति0पुलिस अधीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, इन्दौर ।
7. एस0डी0एम0, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर ।
8. नगर पुलिस अधीक्षक, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर की ओर प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् कराने हेतु ।
9. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
10. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
11. थाना प्रभारी, थाना संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर की ओर उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु ।
12. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम इन्दौर ।

अति0 जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.

Additional Distt. Magistrate
INDORE (M; P:)